म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 – किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्र./बोर्ड/लेखा/जी0एस0टी0/2018–19/592 भोपाल दिनांक 05.10.2018

प्रति,

1.संयुक्त संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय..म0प्र0। (समस्त)

2.कार्यपालन यंत्री,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
तकनीकी कार्यालय..म0प्र0। (समस्त)

3.सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति......................जिला........................। (समस्त)

विषय :– जी0एस0टी0 संशोधन 01 अक्टूबर 2018 से लागू होने के बाद देयकों में से कटौती विषयक।

–––000–––

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना सं0 50/2018 दिनांक 13.09.2018 द्वारा " केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम " की धारा 51 के उपबन्ध में जी0एस0टी0 में संशोधन किया गया है जो दिनांक 01 अक्टूबर 2018 से लागू हो गया है। सी.ए. से प्राप्त अभिमत के संदर्भ में निम्नानुसार कार्यवाही की जाना है:–

1) यह टी0डी0एस0 करयोग्य वस्तुओं एंव सेवाओं पर, जिनकी अनुबंध राशि रूपये 2.50 लाख से अधिक है, पर 2 प्रतिशत देय होगा।

2) आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत जारी किये गये अपने कर कटौती एंव संग्रहण खाता संख्या (टेन नं0) का प्रयोग करके जी0एस0टी0 के अंतर्गत टैक्स कटौती करने वाले को नवीन रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य है। जिसके लिये भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित फॉर्म जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन–07 निर्धारित है।

3) स्रोत पर काटी गई कर राशि को कटौतीकर्ता द्वारा अगले माह की 10 तारिख तक सरकार के खाते में अनिवार्यतः जमा किया जाना है।

4) साथ ही कटौतीकर्ता को माह की समाप्ति के 10 दिनों के भीतर जीएसटीआर–7 प्रपत्र में रिटर्न फाइल करना अपेक्षित है। जिसके पश्चात् टीडीएस सर्टिफिकेट के रूप में जीएसटीआर–7ए फॉर्म जनरेट किया जाकर रिटर्न फाइल से 05 दिनों के अन्दर जारी किया जाना अनिवार्य है।

उपरोक्तानुसार जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही तत्काल की जाकर बिन्दु कं0 01,03 एंव 04 के अनुसार दिनांक 01 अक्टूबर 2018 से लागू संशोधन के अनुरूप कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

<u>कार्यवाही मान0 प्रबंध संचालक महो. द्वारा अनुमोदित।</u>

संलग्नः– सी.ए. से प्राप्त अभिमत की छायाप्रति (03)।

(राजेश सिंह कौरव)
अपर संचालक (वित्त)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क. / बोर्ड / लेखा / जी0एस0टी0 / 2018–19 / 593 भोपाल दिनांक 05.10.2018

प्रतिलिपि:–

1) प्रमुख अभियंता, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

2) अपर / संयुक्त संचालक,(कार्मिक),(भण्डार),(प्रशासन),(भावान्तर भुगतान योजना),(विधि),(वाहन),(नियमन) एंव (योजना), म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि आपकी अधिनस्थ शाखाओं से भुगतान हेतु प्राप्त होने वाली अशासकीय टीपों में उक्त अधिनियम के तहत जी0एस0टी0 पर टीडीएस कटौत्रा संबंधी राशि का स्पष्ट उल्लेख करने का कष्ट करें।

5/10/2018

अपर संचालक (वित्त)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

1) नोटिफिकेशन क्रमांक 50/2018 दिनांक 13.09.2018 के द्वारा जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 51 में "स्रोत पर कर कटौती" (टीडीएस) के लिए प्राधिकार एवं प्रक्रिया विनिर्धारित की गई है। जो की 01.10.2018 से लागु किया जायेगा । प्रत्येक पीआईआईयू इस कर की कटौती करयोग्य वस्तुओं अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति पर आपूर्तिकर्ता (कटौती कराने वाले को) को किए गए भु गतान के 2 प्रतिशत की दर से की जाएगी जहां किसी संविदा के अंतर्गत की गई इस आपूर्ति का कुल मू ल्य दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक (बीजक में इंगित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर को छोड़कर) है। इस प्रकार, व्यक्तिगत आपूर्तियां 2,50,000/- रुपए से कम हों परंतु यदि संविदा मू ल्य 2,50,000/- रुपए से अधिक है तो टीडीएस की कटौती की जाएगी।

टीडीएस कटौती नहीं की गई परिणाम स्वरुप टीडीएस की राशि के साथ-साथ उस पर ब्याज का भु गतान करना होगा; अन्यथा राशि का निर्धारण और उसकी वसू ली वि धि के अनु रूप की जाएगी ।

2) <u>सरकार के पास टीडीएस जमा करना</u>

स्रोत पर काटे गए कर की राशि को कटौतीकर्ता द्वारा अगले माह की 10 तिथि तक सरकार के खाते मेंजमा कर देना चाहिए। यदि काटा गया कर विनिर्धारित समय-सीमा के भीतर जमा नहीं किया जाता है तो कर-कटौतीकर्ता को उसके ब्याज का भु गतान करना होगा। अगर टीडीएस की कटौती की गई परंतु सरकार को उसका भु गतान नहीं किया गया या उत्तरवर्ती माह की 10 तारीख के बाद जमा किया गया तू परिणाम स्वरुप टीडीएस राशि के साथ उसके ब्याज का भु गतान करना होगा; अन्यथा राशि का निर्धारण और उसकी वसू ली विधि के अनु रूप की जाएगी ।

3) <u>टीडीएस विवरणी</u>

कटौतीकर्ता को माह की समाप्ति के 10 दिनों के भीतर जीएसटीआर-7 प्रपत्र में रिटर्न फाइल करना अपेक्षित होता है। यदि आपूर्तिकर्ता पंजीकृत नहीं है तो रिटर्न में जीएसटीआईएन के बजाय आपूर्तिकर्ता के नाम का उल्लेख करना होता है। कर कटौतीकर्ता द्वारा जीएसटीआर-7 प्रपत्र में प्रस्तुत कर कटौती के स्रोत का विवरण प्रत्येक आपूर्तिकर्ता को कॉमन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जीएसटीआर-2 प्रपत्र के भाग-ग में उपलब्ध कराया जाएगा और वह आपूर्तिकर्ता उसे जीएसटीआर-2 प्रपत्र में शामिल करेगा। कर कटौतीकर्ता

द्वारा काटी गई राशियां आपूर्तिकर्ता (वह व्यक्ति जिससे कर कटौती की गई) के जीएसटीआर-2 में प्रदर्शित होगा।

टीडीएस रिटर्न विलंब से भरना पर 100/- रुपए का विलंब शु ल्क देना होगा, परंतु यह विलंब शु ल्क अधिकतम 5,000/- रुपए तक होगा ।

4) <u>टीडीएस प्रमाणपत्र</u>

टीडीएस कटौतीकर्ता (वह व्यक्ति जिसने कर काटा है) को कर की राशि सरकार के खाते में जमा करने के 5 दिनों के भीतर कटौती करने वाले व्यिक्त (वह आपूर्तिकर्ता जिसके भु गतान में से टीडीएस काटा गया है) को जीएसटीआर-7A प्रपत्र में टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करना अपेक्षित होता है, ऐसा न कर पाने पर कर कटौतीकर्ता को 5 दिनों की अवधि समाप्त हो जाने के दिन से प्रमाणपत्र जारी किए जाने के दिन तक 100/- रुपए प्रतिदिन का विलंब शु ल्क जमा करना अपेक्षित होता है। यह विलंब शु ल्क 5,000/- रुपए से अधिक नहीं होगा।

जैसे ही आप GSTR-7 जमा कर देते हैं तो आपको TDS certificate के रूप में आपके Account में अपने आप GSTR-7A फॉर्म जनरेट हो जाता है। इसे आप रिकॉर्ड के रूप में रखने के लिए Download भी कर सकते हैं।

5) <u>टीडीएस कटौतीकर्ताओं का पंजीकरण</u>

प्रत्येक पीआईआईयू को बिना किसी निर्दिष्ट सीमा अपना अनिवार्य पंजीकरण कराना होता है। आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत जारी किए गए अपने कर कटौती एवं संग्रहण खाता संख्या (टीएएन) का प्रयोग करके अपना पंजीकरण करा सकता है।

जीएसटी पंजीकरण करने के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं:

- फोटो
- करदाता का संविधान
- व्यापार स्थान के सबूत
- बैंक खाता विवरण
- प्राधिकरण फार्म

6) उदाहरण

i) उदाहरण के लिए, मान लो कोई आपूर्तिकर्ता किसी प्राप्तकर्ता को 10,000/- रुपए की आपूर्ति करता है और इस पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी का भु गतान किया जाना अपेक्षित है। प्राप्तकर्ता, आपूर्तिकर्ता को 10,000/- रुपए का भु गतान करते समय 2 प्रतिशत की दर से अर्थात 20/- रुपए का टीडीएस काटेगा। टीडीएस के प्रयोजनार्थ मू ल्य में 18 प्रतिशत की जीएसटी शामिल नहीं होगी। इस तरह काटा गया टीडीएस अगले माह की 10 तारीख तक सरकार के खाते में जमा करना होगा।

ii) 3 तरह के कर टीडीएस की कटौती की जाएगी। :-

सीजीएसटी: जहां केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा

एसजीएसटी: राज्य में बिक्री के लिए राज्य सरकारों द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा

आईजीएसटी: जहां अंतरराज्यीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा

टीडीएस की कटौती की कर संरचना निम्नानुसार होगी:-

लेन-देन	**कर संरचना**
राज्य के भीतर बिक्री	सीजीएसटी (1%) + एसजीएसटी(1%)
दूसरे राज्य को बिक्री	आईजीएसटी (2%)

7) आपूर्तिकर्ता तथा आपूर्ति का स्थान दोनों ''क'' राज्य में हैं और प्राप्ताकर्ता राज्य ''ख'' में अवस्थित है तो इस प्रकार, जब आपूर्तिकर्ता तथा आपूर्ति का स्थान दोनों प्राप्तकर्ता के स्थान से भिन्न हैं तो स्रोत पर कर कटौती नहीं की जाएगी।